

संक्षिप्त समाचार

सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत एसआईटी को दिए

एसआईटी अध्यक्ष को 11 सबूत सौंपे

अयोध्या (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ में एसआईटी अध्यक्ष के ऑफिस पहुंचे। वहां राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत देने का दावा किया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को आप सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत दिए। संजय सिंह गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचे। वे करीब 12 मिनट कमरे में रुके। संजय सिंह ने बाहर आकर कहा- राम मंदिर में जमीन घोटाले के 11 कागजात मैंने एसआईटी को सौंपे हैं। उन्होंने कहा- एक-एक कर सब सामने आ रहा है। पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं।

दिल्ली-मथुरा रेल सेक्शन पर हाई अलर्ट

स्टेशनों और ट्रेनों में अचानक जांच से मचा हड़कंप

नई दिल्ली/फरीदाबाद (एजेंसी)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के संयुक्त आपरेशन के तहत दिल्ली से मथुरा के बीच सुरक्षा चौकसी को बढ़ाया गया है। आरपीएफ महानिदेशक सोनाली मिश्रा के निर्देश पर विशेष सुरक्षा चौकसी अभियान के तहत

सेक्शन के बीच रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। बुधवार और बुधरूपतिवार को चेकिंग के तहत ओल्ड रेलवे स्टेशन परिसर, बल्लभगढ़, असावठी, पलवल स्टेशन परिसर पर डोंग स्कूअड टीम के सदस्य शोरा के साथ यात्री सामानों, डस्टबीन, ट्रेनों में तलाशी ली गई। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि पिछले दिनों जीआरपी के अंबाला हेडक्वार्टर से भी सुरक्षा चौकसी को बढ़ाने के लिए अलर्ट आया था।

रांची में पार्सिंग आउट परेड

सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 440 पुलिस अफसरों और जवानों ने ली शपथ

रांची (एजेंसी)। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में गुरुवार को बुनियादी प्रशिक्षणों के लिए लिए पारंग परेड समारोह- 2026 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नव प्रशिक्षित वार डीएसपी व 336 जवानों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इनमें महिला प्रशिक्षु रिपाहियों की संख्या 81 व पुरुष रिपाहियों की संख्या 255 थी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सभी 440 पुलिस अधिकारियों-जवानों का हौसला बढ़ाया।

बाघों को बचाने के लिए उठाए जाएंगे कुत्ते !

कान्हा में 9 बाघों की मौत के बाद हाईकोर्ट सख्त, बफर जोन से कुत्तों को क्वारंटीन के आदेश

भोपाल (नप्र)। एमपी के 'कान्हा टाइगर रिजर्व' में लगातार हो रही 'बाघों की मौतों' को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बाघों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीडब्ल्यू) की रोकथाम के लिए प्रभावी निवारक और उपचारात्मक कदम उठाए जाएं।

हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकारों को निर्देश दिया कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद कुत्तों को क्वारंटीन करने सहित आवश्यक



जैव-सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। कोर्ट ने आदेशों के पालन की स्थिति बताने वाली स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

दरअसल, मुंबई निवासी अधिवक्ता सुब्रत

चक्रवर्ती द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े निर्धारित प्रोटोकॉल, रोग निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाओं और जैव-सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया।

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के बाद एक और खुशखबरी

‘कृषि आदान अनुदान सहायता योजना’ अंतर्गत सरकार देगी 22,500 रुपए

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौसम के बिगड़ने से या फिर किसी प्राकृतिक आपदा आने की वजह से देश के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और जब बात मुआवजे की आती है तो किसानों को ऑफिसों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार एक नई योजना लाई है जिसका नाम है कृषि आदान अनुदान सहायता योजना,

जो किसानों को फिर से खेती शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। इस योजना का मकसद है कि जिन किसानों का सूखा, ओलावृष्टि या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हुआ है, उन्हें फिर सी फसल लगाने में मदद मिल सके।



कितना मिल सकता है मुआवजा ?

सरकार की तरफ से एसडीआरएफ के नियमों के हिसाब से ही मुआवजा तय किया जाएगा। इसलिए अलग-अलग किसानों के लिए मुआवजे की रकम भी अलग हो सकती है। बारिश की वजह से खराब हुई फसलों के लिए रु. 8500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17000 प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए मुआवजे की रकम 22500 प्रति हेक्टेर है।

केंद्र सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे-कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है, जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। सड़क से लेकर संसद तक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी को ‘तानाशाह’ बताया तो कभी



अपने भाषण में ‘संविधान खतरे में है’ के नारे लगाए। राहुल गांधी ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचा लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल संविधान बचाओ के नारे से बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देते हुए बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया गया है।

सरकार के फैसले से भड़की कांग्रेस

सरकार के इस फैसले का एक तरफ एनडीए के नेता स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी के नेता आलोचना कर रहे हैं। 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, पवन खेड़ा और प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, जब भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई कि 25 जून को हर साल देश भर में इमरजेंसी का रिमैमरेंस डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1975 की घटना को उठाना, भाजपा की हताशा को दर्शाता है। हताशा के कारण ये 50 साल पुराने मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा को पिछले महीने की चार तारीख को 440 वोल्ट का एक ऐसा करंट लगा था कि 400 का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए। उनका संविधान बदलने का सपना चूर-चूर हो गया। लेकिन अब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब संविधान के नारों से संसद गूँज उठा, तो अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है।

भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट से अतिक्रमण हटाया

12 पक्के निर्माण तोड़े, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा-बिलखिरिया में भी कार्रवाई



भोपाल (नप्र)। भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट में आड़े आ रहे पक्के निर्माणों पर गुरुवार को जेसीबी चली। करीब 12 पक्के निर्माण तोड़े गए। वहीं, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा और बिलखिरिया में अवैध कॉलोनियों को लेकर भी कार्रवाई हुई।

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया

कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचआई) की टीम के साथ ग्राम बिलखरिया कलां में सड़क अधिग्रहण में आने वाले अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से पहले संबंधितों को नोटिस दिए गए थे। गुरुवार को टीम मौके पर पहुंची और करीब 12 निर्माण हटाए गए।

तीन कॉलोनियों पर कार्रवाई

हुजूर अनुभाग क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। 10 दिन के भीतर चार बड़ी कार्रवाई की गई, जबकि पांचवीं कार्रवाई गुरुवार को हुई। एसडीएम सोनकिया ने बताया कि बिलखिरिया, बरखेड़ा नाथू और कलखेड़ा में टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। हुजूर अनुभाग में बिना अनुमति के डेवलप हो रही कॉलोनियों में भी कार्रवाई की गई। यहां पर बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके चलते सड़क, बाइंड्रीवाल तोड़ दिए गए। संबंधित कॉलोनीवाइजों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आगे से बिना अनुमति के कॉलोनी डेवलप न करें। वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

किसानों यहां करना होगा अप्लाई

इस योजना की सबसे अच्छा बात ये है कि किसानों को कहीं भी अलग से रजिस्टर या फिर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्रभावित किसानों की अपने आप संबंधित पटवारी या फिर डीएमआईए पोर्टल पर डाल दी जाएगी। खरीफ फसलों का डेटा मार्च 31 तक और रबी फसलों का डेटा 30 सितंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं अलग इस प्रोसेस में कोई किसान रह जाता है तो वो राज गिरदावरी ऐप के जरिए भी अपने नुकसान की सूचना दे सकता है।

राजस्थान सरकार ने किया ऐलान

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है। क्योंकि राजस्थान में किसान हमेशा मॉनसून के भरोसे रहते हैं, ऐसे में खराब मौसम उनकी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकार ने कहा

पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं

कांग्रेस ने पूछ- फिर नागरिकता का सबूत क्या है

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है।

इससे पहले एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है सरकार बताए: कपिल सिब्बल

सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है। वहीं, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने पूछा कि जब पासपोर्ट को नागरिकता का 100 प्रतिशत अकेला और अंतिम सबूत नहीं माना जाता, तो ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है।



विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका

दल-बदल याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने की खारिज

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार द्वारा दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने साफ कहा है कि इस मामले में फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) खुद इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस?– दरअसल, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को सागर के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंच पर बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे अचानक पहुंच गई थीं। वहां उन्होंने भाजपा का दामन थामने का ऐलान किया था।

इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन दिया था। कांग्रेस का आरोप था

हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने दोनों पक्षों के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी सुना। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि, विधानसभा अध्यक्ष कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए नेता प्रतिपक्ष के आवेदन की जांच कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अभी दो साल से अधिक का बचा हुआ है। ऐसे में कोई ऐसी असाधारण या विषम परिस्थिति नहीं है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को समयसीमा तय कर जल्द फैसला सुनाने का आदेश जारी करे।

युवती को कोटा ले जाते युवक पकड़ाया

इंदौर। आजाद नगर क्षेत्र के युवक को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उस पर आरोप है कि उसने बिहार की एक युवती को इंदौर बुलाया और उसे जबरन अपने साथ राजस्थान ले जाने की कोशिश कर रहा था। युवती का आरोप है कि उसने कोटा जाने से मना किया था। विश्व हिंदू परिषद के नेता तन्त्र शर्मा के अनुसार बुधवार रात तीन इमली चौराहे पर खड़ी एक वौडियो कोच बस में इरफान खान निवासी कनावास, जिला चूरु (राजस्थान) एक युवती के साथ सदिग्ध स्थिति में मिला। सूचना मिलने पर बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग कर पूछताछ की। पूछताछ में युवती ने बताया कि वह बिहार की रहने वाली है। उसकी इरफान से लंबे समय से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। इरफान ने उसे इंदौर बुताया था। इसके बाद वह उसे चापड़ा भी लेकर गया और फिर वापस इंदौर लाकर कोटा ले जाने की तैयारी कर रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने इरफान को पकड़ लिया। इस दौरान उसके साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। बाद में उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

सड़क हादसे में महिला समेत 2 मौत

इंदौर। शहर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में सड़क पार कर रही महिला की आयरशर वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में स्कूटी सवार युवक की जान चली गई। हादसा मंगलवार शाम लवकुश चौराहे के पास हुआ। मृतका की पहचान खरगोन निवासी रीना पति शेरसिंह के रूप में हुई है। बाणगंगा पुलिस के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के दोनों पहिए महिला के ऊपर से गुजर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आयरशर वाहन (एमपी 09 जीबी 4926) को जब्त कर लिया है। दूसरा हादसा मंगलवार रात आजाद नगर थाना क्षेत्र के तीन इमली इलाके में हुआ। यहां स्कूटी से घर लौट रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में दुर्गा नगर पालिका निवासी जीत निहाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी संजु घायल हो गया। जांच में सामने आया है कि जीत और संजु पालदा स्थित फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों काम खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। पुलिस ने मर्मा कायम कर लिया है।

चोर गिराह पकड़ा, 7 बाइक बरामद

इंदौर। खजराना पुलिस ने बाइक चोर गिराह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने तीन आरोपियों से 7 बाइक बरामद की है। तीनों आरोपी एमआर - 10 रोड स्थित स्टार चौराहे के पास खड़े थे। बदमाश तीन थाना क्षेत्रों में वारदात कर चुके हैं। 10 जून को मानवाला नगर निवासी अमन सांखला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बाइक मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे अज्ञात वाहन शॉप के पास से चोरी हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। मामले में राजेश मीणा, श्याम रघुवंशी, आमप्रकाश रघुवंशी को पकड़ा। उनके पास से 7 बाइक जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे शौक और खर्च पूरे करने बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है और उनसे अन्य वाहन चोरी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

18 कोचिंग, लायब्रेरी, होटल, भवन सील

इंदौर। नगर निगम ने अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ अभियान जारी रखा है। अभियान के तहत 18 कोचिंग, लायब्रेरी, होटल और औद्योगिक भवन सील किए गए। बुधवार को निगम ने कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की। इस दौरान कई स्थानों पर फायर फाइटिंग सिस्टम, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास व्यवस्था और अन्य सुरक्षा प्रबंध निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। निगम ने वैपियन कोचिंग एवं लाइब्रेरी, सीएमसी कोचिंग, ए- 1 बैकिंग क्लासेस, सागर यादव क्लासेस, शयोर साइलेंस लाइब्रेरी, विनर्स इंस्टीट्यूट, एक्सीलेंस लाइब्रेरी, स्वाध्याय लाइब्रेरी, होटल आरव, स्वराज लाइब्रेरी, पोला ग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र के 6 भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, साई लाइब्रेरी, सर्वज्ञान लाइब्रेरी, विद्या लाइब्रेरी, इन्फोटेक लाइब्रेरी, द अचीवर क्लासेस, सांवरिया लाइब्रेरी पर कार्रवाई की। निगम आयुक्त ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन भवनों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाएगी, उनके खिलाफ आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने भवन स्वामियों और संस्थान संचालकों से अपील की कि वे अपने परिसरों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपकरण, फायर फाइटिंग सिस्टम और आपातकालीन व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से स्थापित करें।

ट्रेन में जेवर चुराने वाला गिरफ्तार

इंदौर। जीआरपी पुलिस ने ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो चोरी करने फ्लाइट से आता था। वह ट्रेन में चोरी करता था। लंबे समय से वह इस तरह की वारदातों को अंजाम देता था। ट्रेन के यात्रियों से वह केवल जेवर चुराता था। आरोपी कई राज्यों में सक्रिय था। आरोपी की पहचान उत्तराखंड निवासी जितेंद्र चावला उर्फ जीतू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने 16 मार्च को अहमदाबाद से इंदौर आ रही इंदौर निवासी महिला मीना को चुरा चुरा लिया था। पर्स में 15 लाख रुपए के सोने के जेवर थे। महिला को शिकायत पर जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में विशेष टीम गठित की गई। आरोपी तक पहुंचने के लिए फरीदाबाद, बरेली, मुरादाबाद, बदयूं समेत कई शहरों के 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के आधार पर आखिरकार आरोपी को नीमच से पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से सोने का हार, कान के टॉप्स, दो सोने के कंगन और चार सोने की अंगूठियां जब्त की है। पूछताछ में उसने बताया कि महंगे शौक और लज्जरी जीवनशैली को बनाए रखने ट्रेनों में चोरी करता था। वह लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों पर नजर रखता और मौका मिलते ही सामान लेकर फरार हो जाता था।

बुजुर्ग के खाते से 6.47 लाख उड़ाए

इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने बुजुर्ग का मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से 6 लाख 47 हजार रुपए निकाल लिए। संचार नगर एक्सटेंशन निवासी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ठगों ने किसी लिंक या फर्जी एप के जरिए उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया। इसके बाद यूपीआई के माध्यम से कई ट्रांजेक्शन कर राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली।

युवती पर चाकू से हमला किया

इंदौर। परदेशीपुरा इलाके में युवती पर दूसरी युवती ने चाकू से हमला कर दिया। घायल सलोनी वर्मा ने बताया कि वह घर लौट रही थी, तभी भागीरथपुरा निवासी नैंसी पीठ से आई और उस पर चाकू से वार कर दिए। हमले में सलोनी के पैर और पेट में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी युवती ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

इंदौर में मानसून की एंट्री, पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोली

जलभराव, ट्रैफिक जाम से शहर बेहाल, 5 दिन बारिश के संकेत



पहली बारिश में डूबे चौराहे

मानसून की पहली तेज बारिश के बाद रोबोट चौराहा, बंगाली चौराहा, निपानिया, देवास नाका, रेंडिसन, विजय नगर सहित 20 से अधिक प्रमुख स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगीं। ऑफिस और कामकाज से लौट रहे लोगों को लंबी ट्रैफिक कतारों का सामना करना पड़ा। कई मार्गों पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे। एलआईजी चौराहे से अनुराग नगर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। बारिश और तेज हवा के कारण साकेत वलब तथा जूना रिसाला क्षेत्र में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी।

शहर को हर वर्ष 40 इंच से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, ताकि भूजल स्तर संतुलित बना रहे और तालाबों में गर्मी के मौसम तक पर्याप्त जल भंडारण हो सके।

योजनाएं बारिश के सामने बेअसर- शहर में

जल निकासी सुधारने के लिए स्टॉम वाटर लाइन, सीवरेंज नेटवर्क और ड्रेनेज सिस्टम पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इसके बावजूद पहली ही बारिश में जलभराव की समस्या सामने आ गई। जहां सड़कों की खुदाई चल रही थी, वहां हालात और खराब रहे। कई स्थानों पर कीचड़

शिशुकुंज हादसे के बाद गुरु हरिकिशन और एक्रोपोलिस के किचन सील किए

कई शिक्षण संस्थानों से सैंपल लिए गए, जांच के बाद कार्रवाई होगी



इसी तरह, एक्रोपोलिस संस्थान के मेस और किचन में भी साफ-सफाई की भारी अनदेखी पाई गई। रखरखाव और सुरक्षित भंडारण के नियम पूरे न मिलने के कारण इस संस्थान के किचन को भी सुधार होने तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां से धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर, दही, पनीर और बेसन सहित कुल 6 सैंपल लिए गए हैं।

कई स्कूलों में मिलीं कमियां- प्रशासन की टीम ने न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल का भी रुख किया, जहां एक्सपायरी सामान के साथ-साथ पुराने और नए राशन को एक ही जगह मिक्स करके रखा गया था। टीम ने उन्हें अलग-अलग भंडारण करने के निर्देश दिए और तैयार सब्जी, सैंफ, नमकीन व कुकीज के 4 नमूने लिए। अग्रसेन विद्यालय में मेस की शर्तों का पालन करने

की हिदायत देते हुए चावल, राजमा, आटा और बेसन के 4 सैंपल भरे गए। दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी मेस की जांच कर पनीर, चावल, गुड़, बेसन, चवला और काबुली चना के 6 नमूने इकट्ठे किए गए। उधर, एडवांस एकेडमी में साफ-सफाई तो ठीक मिली, लेकिन पेस्ट कंटेनर रिकॉर्ड और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार करने को कहा गया। इस स्कूल से मावा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी और कढ़ी सहित सबसे ज्यादा 11 सैंपल लिए गए।

लैब भेजे गए नमूने- निरीक्षण के दौरान जुटाए गए सभी खाद्य नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कड़े नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंटेक्टर ने साफ किया है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। स्कूलों और हॉस्टलों की मेस का यह चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।

कार वॉश सेंटर से कारोबारी के गहने चोरी

इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र में कार वॉश सेंटर पर धुलवाई के लिए खड़ी कार से गहने चोरी हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सेंटर के कर्मचारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।

फरियादी योगेश तोमर निवासी सुखलिया ने बताया कि वह फर्नीचर व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्होंने 16 जून को कार कबीट खेड़ी मेन रोड स्थित हरिओम सर्विस सेंटर पर धुलवाने के लिए छोड़ा था। कार में सोने की चेन और महिला की अंगूठी रखी हुई थी, जिन्हें वे बाद में यूको बैंक सुखलिया में जमा कराने वाले थे। कार धुलवाने के बाद जब योगेश बैंक पहुंचे और वाहन से सामान निकालने लगे, तब उन्हें पता चला कि कार में रखी चेन और अंगूठी गायब है। जांच में सामने आया कि कार धोने वाला कर्मचारी अमित घटना के बाद से काम पर नहीं आ रहा था। पुलिस जा इसके घर पहुंची तो परिरजनों ने बताया कि उसके पास सोने की अंगूठी है। इसके बाद पुलिस ने अमित को पकड़ा। अमित ने बताया कि सोने की चेन उसने दोस्त मोहित मालवीय को दे दी थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो लाख रुपए भी बरामद किए गए।

500 करोड़ रु की जमीन के विवाद में बचाव करने पहुंचे दो सिपाही घायल

पुलिसकर्मियों पर हमले, एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश



स्थानीय रहवासियों और संयम इंड्रा कंपनी से जुड़े लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालने और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया। इसी दौरान वहां मौजूद 8 से 10 लोगों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी और देखते ही देखते पथराव करने लगे। हमले में दोनों सिपाहियों के सिर में गंभीर चोटें आईं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति ने पीछे से आकर आशीष शर्मा के सिर पर डंडे

से वार किया। घायल पुलिसकर्मों किसी तरह वहां से निकलकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। विजय सिंह के सिर में 8 और आशीष शर्मा के सिर में 18 टाके लगाए गए।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

एफआईआर में पुलिसकर्मियों ने बताया है कि वे हमलावरों को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते हैं। हालांकि, सामने आने पर उनकी पहचान करने का बात कही गई है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए कनाड़िया पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है और फुटेज की जांच का जा रही है। मामले में यह चर्चा भी सामने आई है कि घटना के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा बनाए गए कुछ मोबाइल वीडियो हटाए गए हैं। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी सामने आ सके।



फैलने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। रिंग रोड पर बंगाली चौराहा से खजराना और खजराना से रोबोट चौराहा तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। सर्विस रोड पूरी तरह वाहनों से भर गई और यातायात धीमी गति से चलता रहा खजराना चौराहे पर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो गया। इसी दौरान एक कार पानी में बंद हो गई, जिससे पीछे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

निर्माण वाले क्षेत्रों में परेशानी- मेट्रो, फ्लाईओवर, ब्रिज, पानी और ड्रेनेज लाइन परियोजनाओं के कारण शहर के कई हिस्सों में सड़कें पहले से खुदी हुई हैं। बारिश के बाद इन इलाकों में हालात और खराब हो गए। लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल से अटल द्वार तक सड़क पर कीचड़ फैल गया। बापट चौराहा से आईएसबीटी तक निर्माणाधीन सर्विस रोड पर भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमृत योजना के तहत खोदी गई कई कॉलोनि्यों की सड़कें पानी और कीचड़ से भर गईं।

साइबर अपराधों से बचाव के लिए इंदौर में ‘सेफ क्लिक-2026’ शुरू

खुद जागरूक बनें, परिवार और समाज को भी सतर्क करें

इंदौर। बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशव्यापी ‘सेफ क्लिक-2026% साइबर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का शुभारंभ 24 जून को मुख्यमंत्री ने भोगाल में आयोजित कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम में इंदौर से पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वरुंधल माध्यम से शामिल हुए। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा से जुड़े पोस्टर, बैनर और पेम्पलेट्स का विमोचन कर अभियान का आगाज किया। यह अभियान 8 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा।

सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच- इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सतर्कता और जागरूकता ही सबसे

प्रभावी सुरक्षा कवच है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे साइबर सुरक्षा



संबंधी सावधानियों को अपनाने के साथ अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। **कई गतिविधियां आयोजित-** अभियान के तहत इंदौर पुलिस सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न विभागों के सहयोग से कई गतिविधियां आयोजित करेगी। इनमें नुक़ड़ नाटक, जसंवाद कार्यक्रम, रचनात्मक प्रतियोगिताएं, वीडियो स्क्रीनिंग, शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन, मैराथन, पोस्टर-बैनर और पेम्पलेट वितरण के साथ डिजिटल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार शामिल रहेगा।

पॉश कॉलोनी के ‘शराब महल’ का काला सच सामने आया



राजस्थान कनेक्शन मिला

छापे में मध्यप्रदेश के कई जिलों में बिकने वाले ब्रांडों के साथ राजस्थान में प्रचलित शराब ब्रांडों की पैकेजिंग सामग्री और लेबल भी मिले हैं। इससे आंशका गहरा गई है कि यह केवल स्थानीय स्तर का कारोबार नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शराब तस्करी गिराह का हिस्सा हो सकता है। विभाग अब सफाई चेन, वितरण नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच में जुट गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जब शराब और कच्चे माल के नमूने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि तैयार की जा रही शराब नकली अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं थी। अंग्रेजी शराब की पैकेजिंग सामग्री मिलने से मामले ने और भी गंभीर रूप ले लिया है।

17 एकड़ जमीन का विवाद

जानकारी के अनुसार पूरा विवाद लगभग 17 एकड़ जमीन को लेकर था, जिसकी बाजार कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मोहसिन खान नामक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। बताया जाता है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद था। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे वहां से हटवा दिया था। वायरल ऑडियो पर पुलिस चुप- घटना के बाद सोशल मीडिया पर मोहसिन खान और एक पुलिसकर्मी के बीच कथित बातचीत की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल होने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने इन रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

संपादकीय

अब सॉल्वर गैंग पर शिकंजा

एनटीए द्वारा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित री नीट परीक्षा में कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण इस बार पेपर तो लीक नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा माफिया ने सॉल्वरों की गैंग उतार कर इस परीक्षा की पवित्रता पर फिर सबालिया निशान जड़ दिया है। इन सॉल्वरों ने परीक्षा में प्रवेश की बायो मेट्रिक प्रणाली को भी धता कर बताकर परीक्षा दे डाली। इसका सीधा मतलब है कि यदि एनटीए डाल डाल है तो माफिया पात पात है। पेपर सॉल्वर वो विद्यार्थी ही होते हैं, जो पैसे लेकर किसी भी परीक्षा में उतर लिखते हैं। लेकिन जो पास होता है, वो कोई दूसरा ही होता है। सबसे हैरानी की बात है कि बिहार में यह सॉल्वर सिंडीकेट मेडिकल में पढ़ एमबीबीएस छत्र ही चला रहे थे। जब इनमें से कुछ सॉल्वर पुलिस की पकड़ में आए तो ये राज खुला। बताया जाता है कि इस सॉल्वर सिंडिकेट का सरगना मुजफ्फरपुर का अर्पित यादव थे। उसने कोटा में पढ़ाई के दौरान तीन दोस्तों के साथ मिलकर गिरोह बनाया था। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक री-नीट-यूजी 2026 में बिहार में करीब 200 फर्जी परीक्षार्थियों के बैठने की प्लानिंग थी। ये मेडिकल स्टूडेंट्स 8 राज्यों से बिहार बुलाए गए। जिनकी जगह पर पेपर देना था, उन कैंडिडेट्स से करीब 50 करोड़ रुपए तक की डील हुई। औसतन हर कैंडिडेट से 40 लाख रुपए लेने थे। ये चॉकने वाले तथ्य लोकल पुलिस, EOU और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आए हैं। जैसे कि अर्पित ने राजस्थान के कोटा में सॉल्वर गैंग शुरू की थी। वह मेडिकल की तैयारी करने गया था। कोचिंग में उसकी दोस्ती मयंक कुमार, उर्फ अश्विनी कुमार, रंजीत कुमार और रवि शंकर से हुई। चारों ने मिलकर फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का खेल शुरू किया। अपने गिरोह से कोटा में कई कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ लिया। खुद मेडिकल की तैयारी करने और बाद में MBBS के छात्र होने के चलते इन्हें आसानी से सॉल्वर मिल गए। री-नीट फर्जीवाड़े की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और पुलिस कर रही है। सूत्रों के अनुसार सॉल्वर गैंग ने बिहार में करीब 200 फर्जी परीक्षार्थियों को बुलाया था। इनमें से 9 परीक्षा के दौरान लखीसराय में पकड़े गए। एक हाजीपुर में पकड़ा गया। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले कुल 12 छात्र पकड़े गए हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि राज्य के 35 शहरों के 331 परीक्षा केंद्रों में कितने फर्जी परीक्षार्थी पहुंचे। इनसे जुड़े असली परीक्षार्थियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस बायोमेट्रिक जांच का ठेका लेने वाली कंपनी की भी जांच कर रही है कि कहीं कंपनी के बड़े पड़ों पर बैठे लोगों से डील तो नहीं हुई। जिलास्तर पर जिन्हें कॉन्टेक्ट दिया गया था, उनके हर मैनेजर और कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। लखीसराय में 18 बायोमेट्रिक कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। छात्रों के बायोमेट्रिक जांच के लिए लगाए गए कई कर्मी 400 रुपए रोज के भुगतान पर रखे गए थे। सॉल्वर गैंग ने इन्हें प्रति फर्जी परीक्षार्थी 20-20 हजार रुपए दिए। उधर सॉल्वर परीक्षा के दौरान अपने कॉलेजों से गायब रहे। इन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा पास की है, इसलिए वो इस परीक्षा के उतर देने में सक्षम माने जाते हैं। जाहिर है कि यह सॉल्वर माफिया एनटीए के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही छात्रों के नैतिक पतन का भी परिचायक है। एमबीबीएस में पढ़ने वाले ये सॉल्वर छात्र आगे चलकर कैसे डॉक्टर बनेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। इन्होंने जो किया है, उसे भी गंभीर अपराध और देशद्रोह की श्रेणी में माना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एनटीए ही नहीं, देश के साथ भी धोखाधड़ी है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चैयर प्रोफेसर हैं।



हैं

में भारत सरकार व सहकारिता मंत्रालय का विशेष सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्ष में भारत ने जो उन्नति व प्रतिष्ठा देश व विदेश में पाई है, उसकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है। सहकारिता के पांच वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन के ये पाँच वर्ष केवल प्रशासनिक उपलब्धियों के वर्ष नहीं हैं, बल्कि ये भारत के ग्रामीण और वंचित समाज के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण के वर्ष हैं। बिखरते और उपेक्षित पड़े सहकारी तंत्र को नीतिगत, कानूनी और तकनीकी संबल देकर उसे देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अथक परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने देश के किसान, मजदूर, मछुआरे और ग्रामीण महिलाओं को देश के विकास का सीधा हिस्सेदार बना दिया। ‘सहकार से समृद्धि’ का महामंत्र भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करते हुए देश के आर्थिक सपनों को पूरा करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम सिद्ध हो रहा है। सामूहिकता की यह पावन अविरल धारा आने वाले समय में भारत के स्वर्णिम कालखंड की सबसे प्रखर गाथा बनने जा रही है।

वस्तुतः भारतीय संस्कृति और दर्शन का मूल तत्व सामूहिकता और परस्पर सहयोग में निहित रहा है। हमारे मनीषियों ने युगों पूर्व ऋग्वेद में संपूर्ण मानवता को एक साथ चलने, संवाद करने और साझा संकल्पों से जुड़ने का संदेश दिया था। उपनिषदों ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की उदात्त भावना प्रदान किया और ‘सह नावतु, सह नौ भुनक्तु’ में इसी सहकार की नींव डाली। प्राचीन काल से ही भारत के ग्रामीण अंचलों में यह जीवन-पद्धति अत्यंत सहज रूप में प्रवाहित होती रही है। संकट के समय जलाशयों का सामूहिक निर्माण हो, वनों का संरक्षण हो, या एक-दूसरे की आर्थिक सहायता के लिए पारंपरिक रूप से विकसित लोक-परंपराएँ हों, भारत के मानस में रचे-बसे सहकार के बिंब हैं।

आज जब इस नवगठित मंत्रालय के गौरवमयी पाँच वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो यह अवसर केवल उपलब्धियों के आकलन का नहीं, बल्कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और अंत्योदय की चेतना के पुनर्जागरण को रेखांकित कर रहा है तो एक सुखद

पांच वर्षों में सहकारिता क्रांति से नूतन प्रभात

अनुभूति देता है। भारत का सहकारी क्षेत्र आज वैश्विक पटल पर खड़ा है, जिसकी जड़ें देश के अंतिम छोर तक फैली हैं। देश में सहकारिता परिवार स्थापित हुआ है, जो संपूर्ण भारत की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा माना जा रहा है। देश में प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर युवाओं और महिलाओं को आर्थिक संबल सहकारिता ने दिया है।



सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। इस ऐतिहासिक निर्णय से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात के दशकों में सहकारी समितियाँ विकास की बहसों में तो रहीं, किंतु वे फाड़लों में सीमित व दबी हुई थीं। इस कारण सहकारिता आंदोलन को वह गति, ऊर्जा और नीतिगत स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, जिसकी देश के विशाल जनमानस को जरूरी थी। वर्ष 2021 में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना से एक नई गतिशीलता आई। यह सबसे अच्छी बात रही कि इस मंत्रालय का दायित्व अमित शाह जैसे सहकारिता क्षेत्र के दूरदर्शी व्यक्तित्व को मिली।

सहकारिता मंत्रालय के संस्थापक केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने इस पारंपरिक और स्थितिल पड़ रहे क्षेत्र में जवाबदेही और शुचिता का एक नया प्राण फूँका। उनके दृढ़ संकल्प और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही इस अल्प समयावधि में मंत्रालय ने ढेरों ऐतिहासिक पहलों की हैं, जो सहकारिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों

में अंकित हो चुकी हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिन्हें हम पैक्स कहते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली धड़कन हैं। अमित शाह जी ने भली-भाति पहचाना कि यदि आधारभूत स्तर की इन समितियों में आधुनिकता का संचार नहीं हुआ, तो संपूर्ण आंदोलन खोखला कहलाएगा। इस दूरदृष्टि के साथ देश की सभी क्रियाशील पैक्स के सम्पूर्ण कम्प्यूटीकरण का संकल्प लिया गया, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिस्टम इन्टीग्रेटर को ऑनबोर्ड किया जा चुका है और हजारों समितियों के लिए

अत्याधुनिक हार्डवेयर की खरीद सुनिश्चित हुई है। उन्हें बहुउद्देशीय स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे वे गैर स्तर पर ही अनाज भंडारण, साझा सेवा केंद्र और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बन रही हैं। सरकार ने हर उस पंचायत में जहाँ ऐसी समितियाँ नहीं थीं, नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, डेयरी और मत्स्य समितियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए अनेक पहल कर रहा है। इसी संबंध में, राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय स्तरीय नीति कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की पहली बैठक विगत दिनों हुई तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर विचार-विमर्श हुआ।

तीन नेताओं की वजह से इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल

आपातकाल/ 26 जून

रामबाबू अग्रवाल

(लेखक इंदौर के समाजवादी नेता मीसाबदी और लोहिया विचार मंच मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं)

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का कालखंड ‘आपातकाल’ के नाम से जाना जाता है। यह अवधि भारतीय लोकतंत्र की सबसे विवादस्पद घटनाओं में से एक मानी जाती है। आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की थी।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संक है। इसने दिखाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा कितनी आवश्यक है। वहीं 1977 का चुनाव यह साबित करता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संविधान, संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान आवश्यक है।

‘आपातकाल लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और उससे उबरना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।’ आपातकाल लगाए जाने के पीछे तीन नेताओं की भूमिका प्रमुख थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को यमको चने चबवा दिए थे। एक तरफ गुजरात और बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व जय प्रकाश नारायण कर रहे थे, वहीं राज नारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। तीसरे नेता जार्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देश का मजदूर सड़कों पर था और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुई थी। जिसने सरकार को पूरी तरह झुका दिया था। इन तीन नेताओं की वजह से सरकार मजबूर हुई कि देश में सभी संवैधानिक अधिकार लंबित कर दिए जाएँ और राजनीतिक लोगों को नजर बंद कर दिया जाए।

इसी कारण इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह आंदोलन 1970 के दशक के मध्य में देश आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याओं से जूझ रहा था।

गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलनों ने सरकार के खिलाफ जन असंतोष को बढ़ाया। बिहार आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण (जेपी) कर रहे थे, जिन्होंने ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट नेसमाजवादी नेता राजनारायण की चुनाव याचिका पर इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनौती अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया। इस फैसले ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी। जेपी ने लोकतांत्रिक जनआंदोलन का नेतृत्व किया, राजनारायण ने न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़कर इंदिरा गांधी की चुनौती वैधता को चुनौती दी, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने श्रमिक और भूमिगत प्रतिष्ठे आंदोलन का नेतृत्व किया। इन तीनों नेताओं ने मिलकर आपातकाल के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया और 1977 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जेपी आपातकाल विरोधी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे।उन्होंने ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा दिया और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। बिहार और गुजरात के छात्र आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वरूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता से संघर्ष का आह्वान किया। आपातकाल लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे लोकतंत्र की बहाली के प्रतीक बने रहे।

राजनारायण समाजवादी नेता थे और उन्होंने 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। चुनाव हारने के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की।

12 जून 1975 को अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया और उन्हें अयोग्य ठहराया।

इस फैसले ने देश में राजनीतिक संकट पैदा किया और इसे आपातकाल की घोषणा के प्रमुख कारणों में माना जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस प्रखर समाजवादी नेता और ट्रेड यूनियन नेता थे।1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल का नेतृत्व उन्होंने किया, जिसने केंद्र सरकार को चुनौती दी।आपातकाल के दौरान वे भूमिगत होकर सरकार के विरोध में सक्रिय रहे।

उन पर प्रसिद्ध बड़ौदा डायनामाइट केस में सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियों में उनकी तस्वीर आपातकाल विरोधी संघर्ष का प्रतीक बन गई।

आपातकाल लगाते वक्त सरकार ने दावा किया कि देश में ‘आंतरिक अशांति’ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर आपातकाल घोषित किया गया।

आपातकाल के दौरान क्या हुआ?

प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई।

अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए।

न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव बढ़ा।

सरकार ने परिवार नियोजन और अन्य कार्यक्रमों को आक्रामक रूप से लागू किया।

गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर और मध्य प्रदेश में आरएसएस के सुदर्शन जी कुशाभाऊ ठाकरे सहित अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। शाह आयोग और सरकारी अभिलेखों के अनुसार लगभग 34,988 लोगों को MISA के तहत बिना मुकदमे के बंदी बनाया गया था। इसके अतिरिक्त 75,818 लोगों को DMR/DISR के तहत गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार कुल गिरफ्तारियों की संख्या लगभग 1,10,000 से 1,11,000 के बीच मानी जाती है। इनमें विपक्षी नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र नेता, पत्रकार, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और अन्य नागरिक शामिल थे।

आपातकाल ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम है या नागरिक स्वतंत्रताओं और संस्थागत संतुलन का भी महत्व है। इस अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर कर दी गई। हालाँकि, 1977 में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और जनता ने मतदान के माध्यम से सत्ता परिवर्तन किया। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण माना जाता है कि जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन किया।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, सक्रिय मीडिया और नागरिक भागीदारी इसकी प्रमुख ताकतें हैं। वहीं लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं: राजनीतिक धुवीकरण फेक न्यूज और दुष्प्रचार संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बहस चुनौती खर्च और राजनीतिक पारदर्शिता के प्रश्न हैं, फिर भी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया निरंतर चल रही है और जनता मतदान के माध्यम से सरकारों को चुनती और बदलती है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वाय पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रियल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बांबे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक

हेमंत पाल

प्रबंध संपादक

रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मृदुल कश्यप

लेखक व्यंग्यकार हैं।

ए

क होता है युद्ध विराम। जिस प्रकार गुलाबजामुन में गुलाब और जामुन नहीं होता उसी प्रकार युद्धविराम में युद्ध का विराम नहीं होता। दरअसल इसमें युद्ध के विराम के अलावा सब कुछ होता है। इसमें धमकी होती है, चेतावनी होती है, तनातनी होती है, देख लूँगा होता है, बदला लेने की कसमें होती है, गंभीर परिणाम भुगतने की बाते होती है, मिसाइल होते है, ड्रोन होते है, याने युद्ध का कम्प्लीट पैकेज होता है, और तो और वार्ता भी होती है बस विराम नहीं होता।

दूसरी तरफ होती है शांति (समझौता)। जिस प्रकार युद्ध विराम बिदास, टपोरी होता है तो इसके उलट शांति (समझौता) होती है बड़ी शमीली सी। छुई मुई सी। युद्ध विराम मुंह फट, बदतमीज टाइप का होता है वही शांति (समझौता) इतना लज्जती है कि सबके सामने नहीं आती। घूँघट काडे बैठी रहती है। उसे जालिम दुनिया की नजरो से बचा कर सात पदों के पीछे रखा

युद्ध विराम से होले-होले शांति वार्ता तक

जाता है। पिछले कई दिनों से छोटे गाँव - कस्बे से लेकर विश्व स्तर तक शांति पर चर्चा हो रही थी। पनवाड़ी से नहीं। सबसे पहले इसके लिए गहन शांति रखना पड़ती है। फिर कमेटी का गठन कर दिया जाता है शांति के लिए उसके बाद बड़ी बड़ी बैठकें करती है कमेटी। मीडिया से बचकर गोपनीय हवाई मीटिंग भी करती है । तो कई बार कोई सूचना योजनाबद्ध तरीके से लीक भी करवाती है कमेटी। खूब पापड़ बेलती है कमेटी शांति के लिए। शांति स्थापना के विशेषज्ञो समझाते रहते है कि हमसे शांति स्थापना के लिए डंडे का योगदान सबसे जरूरी है । बिना डंडे के कल्पना तक नहीं की जा सकती शांति की।

लेकर फाइव स्टार होटल तक बातचीत में शांति छाई हुई थी । सब इंतजार कर रहे थे कि कब सबके सामने आएगी शांति। कब स्थापित होगी । अब शांति की स्थापना करना कोई हंसी खेल तो है

शांति बेचारी निर्बल होती है । वह बेसहारा होती है। वह खुद अपने पैरो के बल खड़ी नहीं हो सकती। अतः उसे एक मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है। सहारे के लिए डंडा मोस्ट सूटेबल रहता है। अगर एक बार डंडे

का सही साट सपोर्ट मिल जाए तो शांति स्थापना में ज्यादा देर नहीं लगती । जिस प्रकार होले होले प्यार होता है वैसे है होते होते एक दिन हो बी जाता है शांति समझौता। शांति की स्थापना के लिए सामान्यतः कपोत उड़ाए जाते है। शांति का कलर कोड वाईट है, एकदम झक सफेद। इसलिए कबूतरों का रंग भी सफेद रखा जाता है। बंदरंगे कबूतरों के बस में नहीं है शांति की ठीक ठीक स्थापना कर पाना। इसलिए इसके लिए झक सफेद कबूतरों का चुनाव किया जाता है और उन्हें पहले से ही पकड़ कर मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उन्हें नियत समय पर सम्मानीय अतिथि के हाथों में सम्मानपूर्वक सोपा जाता है। अतिथि मुस्कुराते हुए पिंजरा खोलकर उन्हें उड़ा देता है। वे आकाश में उड़ने लगते है। बदरंगे कबूतर जमीन से यह तमाशा देखते रहते है। उसी क्षण कैमरे चमकते है, तालियों की गडगडाहट होती है और इसी के साथ यह मान लिया जाता है कि शांति की सफलतापूर्वक स्थापना हो गई है। सभी शांति की गहरी सोंस लेते है। थोड़ी देर बाद बदरंग कबूतर भी आकाश में चक्कर काटने लगते है।



भारतीय फुटबॉल

अशोक श्रीवास्तव

भूतपूर्व सहायक अनुसन्धान अधिकारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली

भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुनील छेत्री का यह कथन कि ‘यदि भारत के बच्चे फुटबॉल को अपनाएँ, तो विश्व कप का सपना असंभव नहीं है। आज के वैश्विक फुटबॉल परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। फुटबॉल अब केवल एक खेल नहीं, बल्कि वैश्विक प्रवासन, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बढ़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी

भाग ले रहे हैं जिनका जन्म उस देश में नहीं हुआ जिसका वे

प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह तथ्य बताता है कि आज राष्ट्रीयता और खेल प्रतिभा का संबंध पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो गया है।

आधुनिक राष्ट्रीय टीमों केवल जन्मस्थान के आधार पर नहीं, बल्कि प्रवासन, नागरिकता, पारिवारिक विरासत और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर भी निर्मित हो रही हैं।

2026 फीफा वर्ल्ड कप का एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 48 टीमों में से केवल 8 देशों की पूरी टीम ऐसे खिलाड़ियों से बनी है जो उसी देश में जन्मे हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 8 देश हैं सऊदी अरब,ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कोलंबिया , चेक रिपब्लिक पनामा ,साउथ अफ्रीका, और स्वीडन। विश्व के अनेक देशों ने प्रवासी, दोहरी नागरिकता वाले अथवा प्राकृतिककृत खिलाड़ियों के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय टीमों को मजबूत बनाया है। कनाडा,पुर्तगाल मोरक्को,कतर और यूनाइटेड स्टेट्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन देशों ने विविध पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों को अवसर देकर अपनी टीमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई है।

एक और रोचक तथ्य यह है कि फ्रांस विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा ‘टैलेंट एक्सपोर्टर’ देश माना गया है। 2026 विश्व कप में 76 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फ्रांस में जन्मे लेकिन अन्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें अल्जीरिया, हैती, डीआर कांगो और सेनेगल के लिए खेलने वाले खिलाड़ी बड़ी संख्या में हैं।

फिखले दिनों से भारत में यह चर्चा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’ अथवा नागरिकता संबंधी नीतियों पर विचार किया जा सकता है। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो यह प्रश्न



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) (संघ) की स्थापना विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू समाज को अनुशासित रूप से संगठित करने और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के सुपुत्र कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने 100 वें वर्षगांठ की बधाई देते हुए 13 जून 2026 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र भेजकर ‘संघ’ से पंजीयन कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही से जुड़े आठ प्रश्न उठाए। इस पत्र ने पुनः एक राजनीतिक और वैचारिक बहस को नई ऊर्जा दी है।

मैंने प्रियंक खड़गे के पत्र को “‘बेवजह” इसलिए कहा कि “‘शताब्दी की दहलीज” की संघ की यात्रा में पंजीयन संबंधित प्रश्न ब्रिटिश शासन अथवा भारत सरकार ने कभी नहीं पूछा। जब संघ पर कांग्रेसी सरकारों ने प्रतिबंध लगाएं और तब भी नहीं, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सारदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर से “‘प्रतिबंध” हटाने के लिए कहीं गई “‘शर्तों” में “‘लिखित संविधान” तो मांगा, परंतु पंजीयन की शर्त न जोड़ी, न थोपी। ऐसी स्थिति में कम से कम पत्र लिखने के पूर्व अभी तक पंजीयन न पूछने की “‘गलती” खरगे को मान कर “‘खेद” तो व्यक्त करना चाहिये था। तभी यह “‘बेवजह पत्र वाजिब” ठहराया जा सकता है। यद्यपि इस पत्र में प्रियंक ने संघ की सार्वजनिक व समाज में महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकारा है। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई। पत्र की उल्लेखनीय बात “‘गोपनीयता” के साथ कार्य करने की बात को छोड़कर, “‘संघ” पर किसी भी प्रकार का



भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजती है। मतदाता किसी उम्मीदवार को केवल उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं चुनते,बल्कि उसके राजनीतिक दल, विचारधारा और चुनावी वादों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। ऐसे में जब कोई विधायक या सांसद अपने मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का राजनीतिक निर्णय नहीं होता, बल्कि मतदाताओं के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात होता है। आज के समय में दलबदल की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है।

दलबदल का अर्थ है कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने चुनावी दल को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में यह प्रवृत्ति नई नहीं है। वर्ष 1967 में हरियाणा के एक विधायक ने एक ही दिन में कई बार दल बदला था। तभी से आचार्य-गयाराम राजनीति का एक चर्चित मुद्दा बन गया। इसके बाद देश में अनेक अवसरों पर विधायकों और सांसदों द्वारा सत्ता या व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने की घटनाएँ सामने आती रहीं,और दल विशेष की सरकार कुछ ही दिनों मे दूसरे दल की सरकार हो गई ।

लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दल के टिकट पर चुनाव

क्या भारत भी करेगा फुटबॉल खिलाड़ियों का आयात?

2026 फीफा वर्ल्ड कप का एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 48 टीमों में से केवल 8 देशों की पूरी टीम ऐसे खिलाड़ियों से बनी है जो उसी देश में जन्मे हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 8 देश हैं सऊदी अरब,ऑस्ट्रिया,ब्राजील, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक पनामा,साउथ अफ्रीका और स्वीडन। विश्व के अनेक देशों ने प्रवासी, दोहरी नागरिकता वाले अथवा प्राकृतिककृत खिलाड़ियों के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय टीमों को मजबूत बनाया है। कनाडा,पुर्तगाल मोरक्को,कतर और यूनाइटेड स्टेट्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन देशों ने विविध पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों को अवसर देकर अपनी टीमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई है। एक और रोचक तथ्य यह है कि फ्रांस विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा ‘टैलेंट एक्सपोर्टर’ देश माना गया है। 2026 विश्व कप में 76 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फ्रांस में जन्मे लेकिन अन्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें अल्जीरिया, हैती, डीआर कांगो और सेनेगल के लिए खेलने वाले खिलाड़ी बड़ी संख्या में हैं।

स्वाभाविक रूप से उठेगा कि क्या भारत भी अन्य देशों की तरह विदेशी मूल या प्रवासी भारतीय मूल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करेगा? यह एक नीतिगत विषय है, जिस पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी। वैसे भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है इस कारण दूसरे देशो से खिलाड़िओ का आयात करने में संवैधानिक रुकावट है।

वास्तव में भारत की वास्तविक शक्ति केवल विदेशी प्रतिभा में नहीं, बल्कि अपने विशाल युवा आधार में निहित है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और यहां लाखों बच्चे स्वाभाविक रूप से फुटबॉल के प्रति आकर्षित हैं। आवश्यकता केवल उन्हें उचित प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराने की है।

भारत में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। विशेष रूप से मिजोरम,मणिपुर और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल जनजीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां फुटबॉल के प्रति उत्साह किसी त्योहार से कम नहीं दिखाई देता। अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसी क्षेत्र से उभरकर सामने आए हैं।

इसी प्रकार झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में भी फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के युवा असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आदिवासी समाज में फुटबॉल की

लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण इसकी सरलता है। इस खेल के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती; एक गेंद और खुला मैदान ही पर्याप्त होता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी फुटबॉल ने अपनी मजबूत जड़ें जमा ली हैं।

मध्य प्रदेश का शहडोल शहर आज ‘मिनी ब्राजील’



के नाम से प्रसिद्ध है। शहडोल, ब्यूहारी, जयसिंहनगर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। विश्व कप के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और उत्सव का वातावरण दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि ब्राजील की खेल शैली, रचनात्मकता और आक्रामक

प्रियंक खरगे की संघ से ‘पंजीयन’ की बेवजह पूछताछ

मैंने प्रियंक खड़गे के पत्र को “‘बेवजह” इसलिए कहा कि “‘शताब्दी की दहलीज” की संघ की यात्रा में पंजीयन संबंधित प्रश्न ब्रिटिश शासन अथवा भारत सरकार ने कभी नहीं पूछा। जब संघ पर कांग्रेसी सरकारों ने प्रतिबंध लगाएं और तब भी नहीं, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर से “‘प्रतिबंध” हटाने के लिए कहीं गई “‘शर्तों” में “‘लिखित संविधान” तो मांगा, परंतु पंजीयन की शर्त न जोड़ी, न थोपी। ऐसी स्थिति में कम से कम पत्र लिखने के पूर्व अभी तक पंजीयन न पूछने की “‘गलती” खरगे को मान कर “‘खेद” तो व्यक्त करना चाहिये था। तभी यह “‘बेवजह पत्र वाजिब” ठहराया जा सकता है। यद्यपि इस पत्र में प्रियंक ने संघ की सार्वजनिक व समाज में महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकारा है। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई। पत्र की उल्लेखनीय बात “‘गोपनीयता” के साथ कार्य करने की बात को छोड़कर, “‘संघ” पर किसी भी प्रकार का “‘आरोप” न लगाना है।

“‘आरोप” न लगाना है। प्रियंक खड़गे का उक्त पत्र कहीं भोपाल के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार का “‘सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।” की अनुक्रिया में तो नहीं? वस्तुतः प्रियंक को संघ का पंजीयन पूछने की बजाए गुरु दक्षिणा, “‘शाखा संचालन”, विजयदशमी पर अस्त्रों के साथ गणवेश में जुलूस निकालना आदि गतिविधियां कानून के दायरे में होकर आवश्यक अनुमति के साथ हैं, कि नहीं, यह जानकारी लेने की ज़्यादा आवश्यकता थी। तथापि “‘सोशल मीडिया” में अनेक अर्थहीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या संघ “‘कानून” से ऊपर है? उसे पंजीकृत क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशों में रजिस्टर्ड है, तो फिर देश में क्यों नहीं? ऑडिट नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन न होने पर कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? बदले की कार्रवाई, संघ कार्यालय की देशभर में अट्टहास करते विशाल भवन। संघ प्रमुख को “‘जेड प्लस” की सुरक्षा क्यों? आदि आदि। बदले की कार्रवाई की बजाए राजनैतिक उद्देश्यों से की गई कार्रवाई कहना ज़्यादा उचित रहेगा। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना “‘अपराध” नहीं और प्रत्युत्तर देना “‘पराजय” नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि “‘संघ” के संगठन का स्वरूप क्या है? और किसी संगठन के काम करने के

बाबत हमारा संविधान व कानून क्या कहता है? संघ के विचारों से आप पूर्णतः, अंशतः सहमत या असहमत हो सकते हैं। “‘आज” के संघ की कुछ नीति-रिति, प्रवृत्तियों से मैं भी असहज व हो जाता हूं। संघ स्वयं को एक राष्ट्रवादी संगठन मानता है। आप उसकी आलोचना इस आधार पर नहीं कर सकते कि संघ एक पंजीकृत संगठन नहीं है। ‘‘संघ शक्ति” का जवाब आलोचनाओं से नहीं, कार्यों से ही दिया जा सकता है। क्या किसी अन्य संगठन या राजनीतिक पार्टी ने “‘संस्वती शिशु मंदिर” की तुलना में कोई दूसरा ‘‘देशव्यापी चिकित्स” “‘प्रतिस्स्था मॉडल” शिक्षा के क्षेत्र में दिया है? अलग-अलग स्थानों पर अल्प संख्या में कुछ संस्थाएं जरूर कार्यरत ही हैं, लेकिन जरूरतों की पूर्ति नहीं करती हैं। “‘यही संघ शक्ति है।”

संघ प्रमुख के अनुसार “‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” व्यक्तियों का समूह है, जो आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अंतर्गत Association of Person (एओपी) “‘व्यक्ति” की परिभाषा में आता है। आयकर विभाग ने भी विभिन्न कार्रवाइयों में “‘संघ” को यही माना है। संघ की आधारशिला “‘शाखा” है। कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा में भाग लेकर स्वयंसेवक बनकर “‘सहकार” की भावना से काम करने वाला उन व्यक्तियों का समूह जिसे “‘संघ” कहा जाता है, से जुड़ जाता है। संघ की

औपचारिक सदस्यता नहीं रखी गई है। देश का संविधान अथवा कोई भी कानून “‘व्यक्तियों के समूह” का पंजीयन करने के लिए बाध्य नहीं करता है। संघ का पंजीयन पूछने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब संघ समाज के विभिन्न क्षेत्रों धार्मिक, सांस्कृतिक, छात्र, शिक्षा सेवा मजदूर किसान, महिला, वनवासी, आदि में काम करने धरातल पर उतरता है, तब उसके विभिन्न फ्रंट (एग्रिम/सहायक) संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, विज्वा भारती, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ वनवासी कल्याण आश्रम आदि 33 अनुषांगिक संगठन, जिन्हें “‘संघ परिवार” कहा जाता है, वे सब एनजीओ, कंपनी, ट्रस्ट या समिति के रूप में मौजूद विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीयत हैं। इस प्रकार संघ के कार्यों की “‘कुड़ली” कानून के सामने उपलब्ध है।

संघ प्रमुख ने संघ की संरचना पंजीयन इत्यादि के बाबत विभिन्न अवसरों पर निम्न बातें प्रमुख रूप से कही हैं, जिसमें ही प्रियंक खरगे के पत्र का जवाब भी शामिल है।

- संघ व्यक्तियों का समूह है।
- संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन काल में पंजीयन की कोई जरूरत नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद भी इसे अनिवार्य नहीं किया गया।
- संघ ने 25 अनुच्छेदों वाला लिखित संविधान वर्ष

- 1950 में सरकार को सौंपा था।
- संघ सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन है।
- संघ पर सरकार द्वारा लगाया गया तीन बार का प्रतिबंध (1948, 1975 एवं 1992) स्वयं सरकार का मान्यता का प्रमाण है।
- हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं होती। संघ भी उसी परंपरा में है।
- संघ खुले आम काम करता है, शाखाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगती हैं, कोई गुपता नहीं है।
- “‘जवाब” देने की कोई आवश्यकता नहीं।
- संघ समझने के लिए संघ के अंदर आने की आवश्यकता है।

तथापि संघ प्रमुख की हिंदू धर्म से तुलना सामयिक, विषयगत नहीं है, जिससे बचा जाना चाहिए था।

संघ के अपंजीकृत होने का कानूनी प्रभाव उस संगठन (संघ) के विरुद्ध न तो कोई दावा (Suit) किया सकता है और न ही उस संगठन को एक लीगल पर्सन (कानूनी व्यक्ति) जो एक इकाई (entity) होती है, की हैसियत से दावा करने का अधिकार होता है। स्पष्ट है, संघ संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाला संगठन है, तभी तो उस पर कानून (प्रतिबंध के आदेश) निषादन हो पा रहा है। संघ की शाखा में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने पर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें प्रतिबंध लगा चुकी है। कानून स्वैच्छिक पंजीयन की स्थिति स्वयं में अवैधता प्रदान नहीं करती है? प्रश्नकर्ता यह बतलाएं कि “‘संघ” को “‘किस कानून” के अंतर्गत पंजीयन लेना “‘अनिवार्य” है अथवा पंजीयन न लेने से किस कानून का उल्लंघन हुआ है और उस उल्लंघन के लिए “‘संघ” के विरुद्ध अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस बहस को राजनीतिक कटाक्ष से आगे बढ़कर संस्थागत जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में देखना ज़्यादा उचित और उपयोगी होगा।

दलबदल की राजनीति, लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती

जीतता है, तो जनता उस दल की नीतियों और विचारधारा पर भरोसा जताती है। यदि चुनाव जीतने के बाद वही प्रतिनिधि किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो वह जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। मतदाताओं ने जिस विचारधारा को समर्थन दिया थाए वह अचानक बदल जाती है और जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है। इस प्रकार दलबदल जनादेश का अपमान माना जाना चाहिए।

अधिकांश मामलों में दलबदल का कारण वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ होता है। मंत्री पद सत्ता का लाभ, आर्थिक हित या राजनीतिक भविष्य की चिंता जैसे कारणों से नेता अपना दल छोड़ देते हैं। यदि किसी जनप्रतिनिधि को वास्तव में अपने दल की नीतियों से असहमति है, तो नैतिक रूप से उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। नेता जनता से प्राप्त पद को बनाए रखते हुए केवल अपना राजनीतिक ठिकाना बदल लेते हैं, जो लोकतांत्रिक नैतिकता के विरुद्ध है।

दलबदल का एक बड़ा दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता है। कई राज्यों में निर्वाचित सरकारें केवल इसलिए गिर गई क्योंकि कुछ विधायक दल बदलकर दूसरे पक्ष के साथ चले गए। इससे शासन व्यवस्था प्रभावित होती है, विकास कार्य बाधित होते हैं और

प्रशासनिक निर्णयों में अनिश्चितता पैदा होती है। जनता ने जिस सरकार को पाँच वर्ष के लिए चुना होता है, वह बीच में ही गिर जाती है और राजनीतिक जोड़तोड़ का दौर शुरू हो जाता है। इससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता कमजोर पड़ती है।



निराशा भी पैदा करती हैं। जब लोग देखते हैं कि नेता चुनाव के समय एक विचारधारा की बात करते हैं और बाद में व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे दल में चले जाते हैं, तो राजनीति के प्रति उनका विश्वास कम होता है। युवाओं में यह धारणा बनती है कि राजनीति केवल अवसरवाद का खेल बन गई है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का विश्वास अत्यंत आवश्यक है, और दलबदल इस विश्वास को कमजोर

करता है। भारतीय संविधान में इस समस्या को रोकने के लिए 1985 में दसवीं अनुसूची के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि निर्वाचित प्रतिनिधि मनमाने ढंग से दल न बदल सकें। बाद में इसमें संशोधन भी किए

गए। फिर भी राजनीतिक दल और नेता कई बार कानूनी प्रावधानों की कमियों का लाभ उठाकर दलबदल को संभव बना लेते हैं। परिणामस्वरूप कानून होने के बावजूद यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है।

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि किसी नेता को अपने दल की नीतियों से गंभीर असहमति हो तो उसे दल छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता आवश्यक है और किसी व्यक्ति को जबरन किसी दल में बाँधकर नहीं रखा जा सकता। यह तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब जनप्रतिनिधि बिना इस्तीफा दिए दल बदल लेते हैं। यदि कोई नेता वास्तव में सिद्धांतों के कारण दल छोड़

रहा है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव लड़ना चाहिए। इससे जनता को यह तय करने का अवसर मिलेगा कि वह उसके निर्णय से सहमत है या नहीं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि दलबदल के विरुद्ध कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। यदि कोई विधायक या सांसद अपना दल छोड़ता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त होनी चाहिए और

उसे पुनः जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि नेताओं को अपनी बात रखने और असहमति व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिले। इससे अनावश्यक दलबदल की घटनाएँ कम हो सकती हैं।

कहा जा सकता है कि विधायकों और सांसदों द्वारा अपने मूल दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। यह जनता के जनादेश, राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि विचारों की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारी का भी सम्मान करना चाहिए। दलबदल की राजनीति अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकती हैए परंतु दीर्घकाल में यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दलबदल की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण और राजनीतिक नैतिकता का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में दलबदल की बढ़ती घटनाएँ कई प्रश्न खड़े करती हैं। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि कुछ जनप्रतिनिधि केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यवाही, राजनीतिक दबाव, भविष्य की अनिश्चितता या सत्ता से टकराव के भय के कारण भी अपने मूल दल का साथ छोड़ देते हैं। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि भय या दबाव के कारण राजनीतिक निर्णय लेने को विवश होता है तो उसने राजनीति छोड़ देनी चाहिये,या पद त्यागकर पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया मे भाग लेना चाहिये ।

संक्षिप्त समाचार

फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं राजस्व अधिकारी: कलेक्टर



रायसेन (निप्र)। कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा ज्ञान भारतम् अभियान के तहत पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन, फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति और राजस्व तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की प्रगति को विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम से ज्ञान भारतम् अभियान के तहत पांडुलिपियां अपलोड किए जाने की जानकारी लेते हुए कहा कि क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों, मंदिरों, संस्थाओं आदि से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध पांडुलिपियों को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कराएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बताएं कि पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण होने से उनकी मूल सामग्री सुरक्षित रह सकेगी। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को शीघ्रता से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को नियमित मॉन्टरिंग के लिए भी कहा। इसी प्रकार संबल योजना में पंजीयन के संबंधित आवेदनों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार अनुग्रह सहायता राशि के संबंधित आवेदनों पर भी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाइन तथा राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्रता से निराकरण कराने के लिए कहा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंडों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ आदि बीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

पीटीजी वनरक्षक भर्ती वर्ष 2026 हेतु पैदल चाल का आयोजन



रायसेन (निप्र)। मंगलवार को रायसेन में वनमण्डलाधिकारी सामान्य रायसेन श्रीमती प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में प्रातः 05.30 बजे पैदल चाल का आयोजन किया गया। विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति वर्ग (पीटीजी) वनरक्षक भर्ती वर्ष 2026 जिला रायसेन के अंतर्गत आयोजित इस पैदल चाल हेतु अभ्यर्थियों को वनमण्डल कार्यालय के सामने से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया तथा यह चाल वनमण्डल कार्यालय पर वापस समाप्त हुई। वनरक्षक के रिक्त 10 पदों के विरुद्ध 05 गुना अर्थात 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर बुलाया गया था, जिसमें प्रथम चरण हेतु 22 जुलाई 2026 को अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण एवं शारीरिक माप प्रक्रिया रखी गई थी। वनरक्षक भर्ती में पैदल चाल हेतु पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किमी एवं महिला अभ्यर्थियों को 14 किमी की दूरी 04 घण्टे नियत की गई। पैदल चाल सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु विभिन्न अधिकारियों के पांच दल गठित किए गए। जौरो किमी से प्रारंभ किया जाकर 3.5 किमी, 7 किमी, 10 किमी एवं 12.5 किमी के प्वाइंट नियत किए गए। पैदल चाल में सम्मिलित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण/सुविधा हेतु जिला अस्पताल रायसेन से चिकित्सकों की एक टीम पूरे समय निधार्णित ट्रैक पर एम्बुलेंस के साथ मौजूद रही। वनरक्षक भर्ती वर्ष 2026 की पूरी प्रक्रिया में उपस्थित कुल 06 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेकर वनरक्षक भर्ती हेतु निर्धारित तीनों चरण सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए।

एडिप योजना के तहत गंज बासौदा में दिव्यांगजनों हेतु शिविर आयोजित



विदिशा (निप्र)। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत नगरपालिका गंज बासौदा में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण चिन्होंकन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 48 दिव्यांग हितग्राहियों का पंजीयन एवं परीक्षण कर उन्हें विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु चिन्हित किया गया। कुल 132 उपकरणों में कैलीपर्स, कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, स्टीलचेयर, श्रवण यंत्र (कान की मशीन), वॉकर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल तथा एल्बो स्टिक सहित अन्य आवश्यक सहायक साधन शामिल हैं। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन को अधिक सुगम बनाना है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव , मुख्य नगरपालिका अधिकारी, एएलआईएमको उच्चेन से आए विशेषज्ञ दल तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों ने हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।

राजस्व कार्यों को आसान बनाने के लिए करें एआई टूल्स का उपयोग

राजस्व कार्यों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, हितग्राही नहीं परेशान: कलेक्टर

किसानों को खाद के लिए न हो परेशानी, फॉर्मर आईडी निर्माण में लाएं तेजी- कलेक्टर

कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित



सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित राजस्व कार्यों, संबंधित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, भू-अर्जन, किसान हित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी मोहरम पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार गंभीरता से निराकरण किया जाए तथा आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना प्रशासन का प्रमुख दायित्व

है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाएं, जिले को प्रदेश की रैंकिंग में शीर्ष 10 जिलों में बनाए रखे तथा नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। उन्होंने राजस्व कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 15 जून की तुलना में 23 जून को समस्त राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 59.50 से बढ़कर 64.45 प्रतिशत हो गया है तथा प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जिला 11वें स्थान से सुधरकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं सीमांकन प्रकरणों के

निराकरण में 69.58 प्रतिशत से बढ़कर 78.84 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है तथा रैंकिंग 20 से सुधरकर 17 हो गई है। नामांतरण प्रकरणों में भी निराकरण प्रतिशत 51.55 से बढ़कर 55.34 प्रतिशत तथा बंटवारा प्रकरणों में 44.23 से बढ़कर 48.73 प्रतिशत हो गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि संभागीय स्तर पर सीहोर जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जिले का डिस्पोजल प्रतिशत 64.45 दर्ज किया गया है, जो संभाग के अन्य जिलों से बेहतर है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिनों से अधिक समय से संबंधित शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए और

शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्वक रहत प्रदान की जाए। किसानों से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रहे। किसानों को खाद के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए निजी विक्रेताओं के साथ समन्वय बनाकर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा लगातार निगरानी रखी जाए।

उन्होंने सभी किसानों की फॉर्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश भी दिए। भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण तथा नागरिकों को समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। आगामी मोहरम पर्व को देखते हुए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शांति समिति की बैठकें आयोजित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा डीजे की तेज आवाज से होने वाली असुविधा और माहौल खराब होने की आशंका को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। सभी तहसील एवं जनपद स्तरीय अधिकारी बीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।



जिला विकास अधिकारी नाबार्ड ने महिलाओं के साथ चक्की चलाई और खुशहाली के गीत गाकर बढ़ाया उत्साह

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्तीय सहयोग से विदिशा जिले के ग्राम भटखेड़ी में महिलाओं के लिए संचालित एलईडीपी के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन भोपाल स्थित संस्था सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस (सीडा) द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से 30 महिलाओं को पत्थर की चक्की आधारित उद्यम के संचालन, मल्टी ग्रेन आटा, दाल, विभिन्न प्रकार के मसाले, बेसन तथा अन्य खाद्य उत्पादों के उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग और विपणन संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन समारोह में नाबार्ड की उप महाप्रबंधक एवं जिला विकास प्रबंधक सुश्री जाप्रोत कौर साबरवाल एवं नाबार्ड के दो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, भारतीय स्टेट बैंक से श्री बीएस बघेल, अग्रणी जिला प्रबंधक , खामखेडा के शाखा प्रबंधक, श्री शिवपाल यादव सहित सीडा के निदेशक राजीव विश्वकर्मा, तकनीकी अधिकारी श्री अनूप तिवारी, कार्यक्रम सहायक श्री नितेश कुशवाहा, श्री मनीष कुशवाहा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली सभी महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

सारिका धारू ने स्थानीय निकाय और विधानसभा मतदाता सूची का भ्रम किया दूर

सीहोर (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के तहत सीहोर जिले के ग्राम गुडभेला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग की ब्रांड एंबेसडर सारिका धारू ने इस जागरूकता अभियान की कमान संभाली। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोकसंगीत रहा।



स्थानीय भाषा में गीतों, 25 जून तक नाम जोड़ना, हम सबकी जिम्मेदारी जैसे आकर्षक चुनावी जिंगल्स के जरिए युवाओं और महिलाओं को वोट लिस्ट में नाम जोड़वाने की प्रक्रिया समझाई गई। सारिका धारू ने नागरिकों का एक बड़ा भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि लोकसभा या विधानसभा की

मतदाता सूची और स्थानीय निकाय की सूची दोनों अलग-अलग होती हैं। जिन नागरिकों का नाम विधानसभा सूची में है, उन्हें भी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए इस स्थानीय सूची में अपना नाम दोबारा जरूर जांचना चाहिए।

सारिका ने कहा कि जो युवा 01 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे तुरंत अपना नाम जुड़वाएं। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम या पते की गलतियों को सुधारने के लिए आयोग द्वारा बढ़ाई गई 25 जून की अंतिम तिथि का लाभ उठाएं।

सभी एसडीएम ग्रंथालय एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर उपलब्ध पुरातन पांडुलिपियों को डिजिटिज करवाना सुनिश्चित करें : कलेक्टर सोमेश मिश्रा

सीएम हेल्पलाइन पर खराब प्रदर्शन करने पर कलेक्टर की सख्त कार्यवाही

7 दिवस के वेतन काटे जाने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के लिए निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की स्थिति एवं विभागवार रैंकिंग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई विभागों के खराब प्रदर्शन एवं कम वेतन स्कोर पर उन्होंने गहन अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि जिन विभागों का वेतन स्कोर 85 प्रतिशत से कम है तथा जो लगातार खराब रैंकिंग प्राप्त कर रहे हैं, उनके नोडल अधिकारियों को 7 दिवस के वेतन की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा कराने संबंधी नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में ऊर्जा विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला चिकित्सालय की खराब रैंकिंग तथा कम वेतन स्कोर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित नोडल अधिकारियों को 7 दिवस के वेतन की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा कराने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।



इसके अलावा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जिला शिक्षा केंद्र तथा ऐसे सभी बीएमओ, जिनकी रैंकिंग 'ए' श्रेणी से नीचे है अथवा जिन्होंने 90 प्रतिशत से कम वेतन स्कोर प्राप्त किया है, उन्हें भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि भविष्य में यदि किसी विभाग का वेतन स्कोर 90 प्रतिशत से कम रहता है अथवा वह प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की स्थिति की समीक्षा करते हुए भी कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन तहसीलों की रैंकिंग 'ए' श्रेणी से नीचे है, वहां के संबंधित तहसीलदारों को भी 7 दिवस के वेतन की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा कराने संबंधी नोटिस जारी किए जाएं। बैठक के दौरान

आरसीएमएस पोर्टल पर सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों पर 2,000 रुपये की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जुर्माने के रूप में जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित एसडीएम को नोटिस जारी करने के निर्देश भी प्रदान किए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पुराने ग्रंथालयों, धार्मिक स्थलों एवं संस्थाओं का निरीक्षण करें तथा वहां उपलब्ध हस्तलिखित पांडुलिपियों एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों की पहचान कर उन्हें ज्ञान भारतम् एप के माध्यम से डिजिटाइज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने संभाग आयुक्त कार्यालय से प्राप्त समय-सीमा पत्रों के संबंधित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत उमरिया में जनकल्याण शिविर आयोजित

विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएँ

कई मामलों का मौके पर हुआ निराकरण

नर्मदापुरम (निप्र)। ग्राम पंचायत उमरिया में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा ने उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएँ सुनीं तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएँ एवं मांगें प्रस्तुत की गईं। विधायक श्री वर्मा ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अनेक मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया तथा शेष प्रकरणों के

त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनकल्याण शिविर में शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान की गई। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं लाभों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नर्मदा तट पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया।

ज्ञान भारत परियोजना के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए चलाएं विशेष अभियान

संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने भोपाल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ की ली बैठक

रायसेन (निप्र)। भोपाल संभाग के विभिन्न जिलों में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलेगा। संभागायुक्त भोपाल श्री कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित भोपाल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में आगामी मोहरम त्यौहार के संदर्भ में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक शांति समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से की जाए तथा



संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित बीसी कक्ष में कलेक्टर

श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त श्री शर्मा को कलेक्टर श्री

विश्वकर्मा ने जिले में विभिन्न योजनाओं तथा अभियानों के तहत किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने संभाग में पांडुलिपियों की खोज और उनके डिजिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ज्ञान भारत प्रोजेक्ट के तहत सभी पांडुलिपियों को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाना है, ताकि इनका संरक्षण हो सके और हमारी ज्ञान परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक विस्तारित हो सके। श्री शर्मा ने बैठक में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आगामी

बीनी सीजन के पूर्व बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। खाद्य वितरण के लिए ई-विकास टोकन प्रणाली के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन कराये जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रति गंभीर रहें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शहरों में पीएनजी पहुंच गई है वहाँ उपभोक्ताओं को यह जरूर अवगत कराया जाये कि उन्हें पाइप लाइन आधारित गैस पर शिफ्ट

होना है। श्री शर्मा ने बैठक में भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भू-अर्जन की समीक्षा भी की और सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे सभी भू-अर्जन की कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण करें। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों एवं प्रशासनिक विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने भोपाल संभाग के सभी जिलों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक जिले द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों एवं नवाचारों का तथ्यात्मक एवं प्रभावी प्रस्तुतीकरण तैयार किया जाए। बैठक में उन्होंने रात्रि चौपाल पर जोर दिया।

‘छात्रों की गूंज’ अभियान से उठी जवाबदेही की मांग

भोपाल (नप्र)। देश की शिक्षा व्यवस्था आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएँ, पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन की विफलताएँ के खिलाफ और देश के युवा व छात्रों के प्रति जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता को लेकर एनएसयूआई ने आज गुरुवार को भोपाल ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का आगाज किया। अभियान में सांसद इमरान मसूद, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अंशुल त्रिवेदी ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों और छात्रों की समस्याओं को उठाया।

छात्रों ने शिक्षा प्राणियों की कमियों को किया उजागर – वार्ता में छात्रों ने स्वयं अपने अनुभव साझा करते हुए शिक्षा प्रणाली की गंभीर कमियों को उजागर किया। पन्ना जिले के छात्र लक्ष्य मिश्रा, जिन्होंने कक्षा 10वीं में 95.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ने बताया कि हिंदी विषय में उन्हें मात्र 60 अंक दिए गए थे। उत्तर पुस्तिका की जांच करवाने पर पता चला कि कई उत्तरों का मूल्यांकन ही नहीं किया गया था, जिससे उनके 17 अंक कम हो गए। पर्याप्त प्रमाण और सीबीएसई अधिकारियों से संपर्क के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। लक्ष्य ने कहा कि इस अन्याय के कारण वह मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे हैं तथा उनका परिवार भी गहरे चिंतित है। वहीं खंडवा की नीट अध्यर्थी खुशी ने बताया कि उन्होंने दो वर्षों तक प्रतिदिन 12 से 14 घंटे कठिन परिश्रम किया और 450 से अधिक अंक प्राप्त कर



सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की उम्मीद कर रही थीं। लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में उत्पन्न विवादों और पुनः परीक्षा की स्थिति ने उनकी मेहनत और सपनों

उदाहरण दिया जिसने नीट परीक्षा से ठीक पहले आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां

40 दिनों तक 28 शहरों में व्यापक जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान

पर पानी फेर दिया। इधर इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था की खामियों की कीमत छात्र अपनी जान देकर चुका रहे हैं। एक ऐसे छात्र का

सरकार का शिक्षा बजट लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है, वहीं छात्र और उनके परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के तत्काल

‘सेफक्विलक’ अभियान के तहत प्रदेशभर के नव आरक्षकों को दिया जा रहा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण

मानव श्रृंखला बनाकर दिया जन-जागरूकता का संदेश

भोपाल (नप्र)। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित साइबर जागरूकता अभियान ‘सेफ क्विलक 2.0’ को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन में प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों को 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जन-जागरूकता संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 637 नव आरक्षकों को राज्य साइबर पुलिस उज्जैन इकाई के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट, वित्तीय धोखाधड़ी (फाइनेंशियल फ्रॉड), ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। नव आरक्षकों को साइबर अपराध होने की स्थिति में उपलब्ध सहायता तंत्र, साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों एवं डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाकर साइबर अपराधों के प्रति

इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा प्रणाली के प्रत्येक चरण पेपर सेंटिंग, प्रिंटिंग, परिवहन और परीक्षा केंद्रों का स्वतंत्र और सख्त ऑडिट कराने की आवश्यकता बताई। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश लंबे समय से परीक्षा घोटालों और भत्तों अनियमितताओं का केंद्र रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है।

प्रेस वार्ता के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अंशुल त्रिवेदी ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत आगामी 40 दिनों तक 28 शहरों में व्यापक जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्रों के मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से सुना और समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त पेपर लीक के खिलाफ और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर इंदौर से भोपाल तक हजारों युवाओं की भागीदारी वाली एक विशाल साइकिल यात्रा आयोजित की जाएगी।

नेताओं ने घोषणा की कि 9 अगस्त, अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देशभर के छात्र और युवा दिल्ली में एकत्रित होकर ‘शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ’ के संकल्प के साथ एक स्टूडेंट चार्टर जारी करेंगे। यह अभियान शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तीन मूलभूत सिद्धांतों- जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता पर आधारित होगा।



जागरूक रहने तथा समाज को जागरूक करने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, राज्य साइबर पुलिस उज्जैन इकाई की पुलिस अधीक्षक श्रीमती लीना मारोट, उप पुलिस अधीक्षक श्री नंदकिशोर मालवीय, श्रीमती शैलजा भदोरिया, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रहलाद षट्टिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ‘सेफ क्विलक’ अभियान के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न प्रशिक्षण, जनसंवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

करंट से युवक की मौत

चार घंटे तार पर लटका रहा शव, पुलिस पंचनामा कार्रवाई में जुटी रही, लाइनमैन मौके से भाग गए

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बिलखिरिया क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने बिजली विभाग के दो कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लाइनमैन ने खुद काम करने के बजाय एक निजी युवक को खंभे पर चढ़ा दिया और बिजली सप्लाई बंद कराए बिना ही मरम्मत का काम शुरू करा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना रायसेन रोड स्थित बिलखिरिया क्षेत्र की है। मृतक की पहचान जितेंद्र कुशवाहा (22) पुत्र सेवाराम कुशवाहा निवासी बिलखिरिया के रूप में हुई है। वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता था।

500 रुपए देने का दिया था लालच- मृतक के भाई बंटी कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बुधवार शाम क्षेत्र में एक फेंक की बिजली बंद होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर लाइनमैन आजाद ठाकुर और रिकू राजपूत मौके पर पहुंचे थे।

अकेले दुकान तक नहीं जाती थी मेरी बेटी, बड़वाह कैसे पहुंच गई

पिता बोले- नहीं कर सकती आत्महत्या

खरगोन (नप्र)। इंदौर की 20 वर्षीय नीट अभ्यर्थी निक्की यादव का शव खरगोन जिले में नर्मदा नदी से मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को छात्रा के परिजनों ने उसे आत्महत्या नहीं बल्कि अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उसका मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मां को आया था आखिरी कॉल- खरगोन पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने बताया कि लसूडिया क्षेत्र निवासी निक्की यादव रविवार को महु स्थित परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा देने गई थी। रात में उसने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से अपनी मां को कॉल कर बताया था कि उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और वह घर लौट रही है। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। जांच में उसकी अंतिम लोकेशन खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में मिली।

अगले दिन मिली डेड बॉडी

एसपी ने बताया कि सोमवार दोपहर करही थाना क्षेत्र के पितामली गांव के समीप नर्मदा नदी में एक युवती का शव मिलने की सूचना स्थानीय नाविकों और ग्राम चौकीदार ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और मर्ग कायम



कर जांच शुरू की। पहचान नहीं होने पर शव के फोटो सोशल मीडिया और आसपास के जिलों के थानों में प्रसारित किए गए। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत हुआ कि शव नदी में बहकर कुछ दूरी से यहां पहुंचा था। सोमवार देर रात इंदौर के भंवरकुआं थाने की मदद से मृतका की पहचान निक्की यादव के रूप में हुई। मंगलवार को उसके परिजन खरगोन पहुंचे और शव की शिनाख्त की।

मप्र हाईकोर्ट में नियुक्ति की याचिका खारिज

● प्राइमरी टीचर के लिए डीएड की जगह बीएड डिग्री मान्य नहीं



जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति साफ की है। अदालत ने संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-थर्ड (वर्ग-3) के पद पर नियुक्ति की मांग करने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए तय DEd योग्यता की जगह बीएड की डिग्री को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सुधा गुप्ता द्वारा दायर उस याचिका को सिर से नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने साल 2011 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की गुहार लगाई थी।

मेरिट लिस्ट में नाम होने से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार- याचिकाकर्ता सुधा गुप्ता ने साल 2011 में आयोजित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा पास की थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया था कि उनके जैसे ही

कई अन्य उम्मीदवारों को पिछले मामलों में राहत देते हुए नियुक्तियां दी गई हैं, इसलिए उन्हें भी पद मिलना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक कैडर नियमों का हवाला देते हुए पाया कि याचिकाकर्ता के पास बीएड की उच्च डिग्री तो है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए अनिवार्य डीएड या डीएलएड की योग्यता नहीं है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना या मेरिट लिस्ट में जगह पा लेना ही नौकरी की गारंटी नहीं बन जाता। नियुक्ति पाने के लिए संबंधित पद के लिए सरकार द्वारा तय किए गए विशिष्ट शैक्षणिक नियमों और अहर्ताओं को पूरा करना बेहद जरूरी है। फैसले में कहा गया कि बीएड का कोर्स मुख्य रूप से अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके विपरीत, डीएड और डीएलएड जैसे पाठ्यक्रम विशेष रूप से प्राथमिक यानी शुरुआती स्तर के बच्चों को पढ़ाने की कला सिखाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।

कार के अंदर मिली युवक-युवती की लाश

घर से एक दिन पहले हुए थे दोनों लापता पढ़ाई के बाद साथ करते थे जॉब



अशोकनगर (नप्र)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक कार के अंदर युवक-युवती की लाश मिली है। कार के अंदर खून फैला हुआ है। अटकलें हैं कि युवती की हत्या थारदार हथियार से गला रेतकर की गई है। वहीं, युवक की मौत गोली लगने से बताया जा रहा है।

देर रात मिली है लाश-मामला बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात 3 बजे की गई। शहर के ईसागढ़ रोड स्थित महाना गांव में युवक-युवती का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही अशोकनगर पुलिस ने देखा कि दोनों शव खुले से सने हुए थे। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम महाना गांव के पास पहुंची, जहां जीप में दोनों शव मिले।

एक साथ दोनों करते थे जॉब – जौप के आगे की सीट पर युवक-युवती के शव पड़े थे। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर में गोली लगने का निशान मिला है, जबकि युवती के शरीर पर व गले को रेतने के भी गहरे निशान मिले हैं। पुलिस को कार के अंदर से एक पिस्टल पेपर कटर भी बरामद हुआ है।

एक दिन पहले घर से हुए थे लापता- जानकारी के अनुसार, अशोकनगर निवासी युवक रितिक सोनी 26 साल और युवती मुस्कान जैन पुत्री विवेक जैन 24 साल जो एक दिन पहले अपने घर से लापता हुए थे। इसके बाद दोनों के परिवार दोनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

दोनों डिग्री के शैक्षणिक उद्देश्य और प्रशिक्षण बिल्कुल अलग

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष जोर दिया कि दोनों ही शैक्षणिक डिग्रियों के उद्देश्य और उनके प्रशिक्षण की प्रकृति में बड़ा अंतर है। प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों की मानसिकता को समझने और उन्हें बुनियादी शिक्षा देने के लिए डीएड स्तर के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे सेकेंडरी स्तर के बीएड कोर्स से नहीं बदला जा सकता। अदालत के इस सख्त रुख के बाद राज्य में चल रही अन्य शिक्षक भर्तियों में भी योग्यता संबंधी नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष जोर दिया कि दोनों ही शैक्षणिक डिग्रियों के उद्देश्य और उनके प्रशिक्षण की प्रकृति में बड़ा अंतर है। प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों की मानसिकता को समझने और उन्हें बुनियादी शिक्षा देने के लिए डीएड स्तर के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे सेकेंडरी स्तर के बीएड कोर्स से नहीं बदला जा सकता। अदालत के इस सख्त रुख के बाद राज्य में चल रही अन्य शिक्षक भर्तियों में भी योग्यता संबंधी नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

मनोज जैन ‘मधुर’ को मिलेगा, अखिल भारतीय नारद मुनि सम्मान



भोपाल। समकालीन हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित नवगीतकार, गीतकार, शिक्षाविद् एवं साहित्य-साधक मनोज जैन मधुर को मध्यप्रदेश सांस्कृतिक परिषद-साहित्य अकादमी द्वारा रु. 1 लाख रुपये की सम्मान राशि सहित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय नारद मुनि सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से साहित्य जगत में हर्ष का वातावरण है। मनोज जैन मधुर ने गीत, नवगीत, दोहा, मुक्तक, बाल साहित्य, लघुकथा एवं संस्मरण सहित अनेक विधाओं में उल्लेखनीय सृजन किया है। उनका बाल काव्य-संग्रह बच्चे होते फूल से भी विशेष रूप से चर्चित रहा है। वर्ष 2024 में उन्हें आधुनिक हिन्दी काव्य की नवगीत विधा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम माहेश्वर तिवारी नवगीत सृजन सम्मान से भी अलंकृत किया गया था।

सागर पुलिस भी गजब है! बदमाश ने पैर में चोट का बहाना बनाया तो हाथ-ठेले पर बैठाकर ले गई थाने

सागर (नप्र)। बदमाशी-कटरबाजी और अड़ीबाजी के आरोपी को पुलिस ने अनेखे अंदाज में गिरफ्तार किया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अंकित उर्फ मंगरा बसोर को पुलिस हथठेले पर बैठाकर थाने लेकर पहुंची। इस कार्रवाई का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद मामला शहरभर में चर्चा का विषय बन गया है। मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी को भास्कर श्रीवास्तव नामक ऑटो चालक ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि प्राइवेट बस स्टैंड पर सवारी का इंतजार करते समय आरोपी ने उससे कथित रूप से 300 रुपए की मांग की।